भोपाल, गुरुवार
17
अप्रैल-2025

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 09 | अंक : 03 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रुपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार
कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं। बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते।

मंडला जिले में 232 करोड़ रुपए की लागत वाले 66 विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि-पूजन

राज्य के विकास में आधी आबादी की पूरी भूमिका हो: मुख्यमंत्री

- बहनों को दिलाएंगे उनका पूरा हक
- मां, बहनों और बेटियों के लिए हमारी सरकार हमेशा उनके साथ
- दहेज, मृत्युभोज से बचें, अपने बच्चों को पढ़ायें-लिखायें और समर्थ बनाएं
- लाड़ली बहना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को मिली 2.5 हजार करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की सौगात
- बंजर नदी पर निर्मित पुल शहीद शंकर शाह-रघुनाथ शाह के नाम पर होगा
- प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1552.38 करोड़ अंतरित
- 56.68 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़, 25 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रूपये अंतरित हुए
- प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को वृंदावन ग्राम के रूप में किया जाएगा विकसित

मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन के लिए मंडला की बेटी सुश्री शुचि उपाध्याय का किया अभिनंदन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माताओं, बहनों और बेटियों के हित में हमारी सरकार हमेशा उनके साथ हैं। इनके लिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। बहनों को हमारी सरकार उनका हर वाजिब हक दिलायेगी। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में आधी आबादी की पूरी भूमिका हो, इसे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए आगामी वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार पहले ही निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंडला जिले के टिकरवारा गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहाँ आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की लाड़ली बहनों सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के जरिए 2500 करोड़ से अधिक की सम्मान एवं सहायता राशि अंतरित की। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए सुश्री शुचि उपाध्याय का मंच से अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं में हितलाभ और युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी वितरित किये।

मंडला को मिली 232 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रदेश की 1.27 करोड़ बहनों को 1552.38 करोड़ रुपए, 56.68 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में पात्र 25 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। सरकार द्वारा अब तक लाड़ली बहनों को 36 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला के विकास को गति देने के लिए 232 करोड़ रुपए की लागत वाले 66 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला जिले में सुरखी-इंद्री मार्ग पर 16 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से नया पुल बनाने और बंजर नदी में नवनिर्मित एक अन्य पुल का लोकार्पण कर इसका नामकरण अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह सेतु करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडला के विकास में सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में परिणय-सूत्र में बंधे 1100 से अधिक नवविवाहित दंपत्तियों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज नवविवाहित दंपत्तियों को 49-49 हजार की राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 संस्कारों में विवाह सबसे बड़ा होता है। नवदंपत्ति नए संकल्पों के साथ सपनों का संसार बसाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में कमाई का एक हिस्सा बचाएं जिससे भविष्य में अपने साथ बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोगों से विवाह समारोह पर बेहिसाब खर्च से बचने का सुझाव देते हुए कहा कि कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह में शामिल होकर कोई भी कम खर्च में धूमधाम से शादी कर सकता है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं किसानों को शादियों में टीका, दहेज और मृत्यु भोज के लिए कर्ज न लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कुरीतियों से समाज का विकास बाधित होता है। इसके बजाय सभी जनजातीय बंधु अपने बच्चों को पढ़ायें, लिखायें और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए समर्थ बनायें।

लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संकल्पित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि प्रदान करने के लिए हर महीने बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अगर बहनों के हाथ में कुछ पैसा आए वो पूरे घर का समुचित प्रबंधन करती हैं। आज बहनों को उज्ज्वला योजना, पक्के मकान जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार नागरिकों के सुख-दुख की चिंता करते हुए गरीब, महिला, युवा और किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप बांटे जाएंगे, जिसका लाभ प्रदेश के 5 से 10 हॉर्स पॉवर पंप वाले किसानों को मिलेगा। साथ ही बिजली विभाग सरप्लस बिजली किसानों से खरीदेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता के माध्यम से किसान और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई है, 25 गाय-भैंस पालने पर 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। राज्य सरकार ने शासकीय गौशालाओं के लिए अनुदान राशि भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की है।

हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मां नर्मदा और रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि मां नर्मदा ने महाकौशल से मालवा और गुजरात तक लोगों को जीवन दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड में सिंचाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की राशि प्रदान की है। बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती है। यहां काल के प्रवाह में पानी की कमी से पलायन होने लगा था। केंद्र सरकार के सहयोग से केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं का लाभ मध्यप्रदेश के कई जिलों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि महारानी दुर्गावती द्वारा जल संचय के लिए तैयार संरचनाओं से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गांव को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि उनके लिए यह यादगार दिन है, क्योंकि वे कभी टिकरवारा गांव की सरपंच थीं और आज सरकार में मंत्री हैं।

हिंदी उर्दू के बिना अधूरी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं, बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटुर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उ3र्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। यह याचिका पूर्व नगरसेविका वर्षाताई संजय बगाड़े ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। पहले यह याचिका नगर परिषद और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अंत में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।

शाह का भतीजा बनकर ठगी, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। नय्यर पर आरोप है कि उसने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक कारोबारी से 3.9 करोड़ रुपए ठगे। आरोपी 10 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक हाई-प्रोफाइल ठगी के मामले में आरोपी अजय कुमार नय्यर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नय्यर पर आरोप है कि उसने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक कारोबारी से 3.9 करोड़ रुपए ठगे। आरोपी 10 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। एडिशनल सेशन जज डॉ. हरदीप कौर ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा, आरोपों की गंभीरता

और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।

तमिलनाडु के मंदिर उत्सव में अंगारों में गिरा शख्स, मौत

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक उत्सव के दौरान अंगारों के गड्ढे में गिरने से 56 साल के एक भक्त केशवन की मौत हो गई। यह घटना कुयावनकुडी में अग्नि-चलन अनुष्ठान के दौरान हुई। इस हादसे का एक वीडियो वायरल हो गया है। स्थानीय रूप से थीमिधि थिरुविझा के नाम से जाना जाने वाला यह अनुष्ठान वार्षिक सुब्बैया मंदिर उत्सव का हिस्सा है। जो इस बार 10 अप्रैल को शुरू हुआ था। भक्त अपनी मन्नतें पूरी करने और आशीर्वाद लेने के लिए जलते अंगारों से भरे गड्ढे में नंगे पैर चलते हैं। 10 अप्रैल से शुरू हुए थीमिधि थिरुविझा अनुष्ठान के लिए वालंथरावाई गांव के रहने वाले केशवन भी आए थे। मन्नत पूरी करने के दौरान केशवन संतुलन खो बैठे और जलते अंगारों पर गिर पड़े। मंदिर में मौजूद बचाव दल ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और रामनाथपुरम जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी, इसी महीने, तमिलनाडु के अवरंगाडु में अग्नि मरियम्मन मंदिर उत्सव के दौरान एक व्यक्ति अपने छह महीने के बच्चे के साथ जलते अंगारों पर चलते समय गिर पड़ा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे गवई

देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस, 14 मई से संभालेंगे काम

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।

CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके

रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भोंसले के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए।

दूसरे दलित सीजेआई होंगे जस्टिस गवई

जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डिमॉनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता सूची में आते हैं। संभावना है कि उन्हें 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा।

वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केंद्र सरकार से पूछा- क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे

नई दिल्ली, एजेंसी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर देशभर में मुसलमान 11 अप्रैल से वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दो घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर स्त्र ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया

जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।

CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (स्त्र) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दीं।

अपीलकर्ता ने कहा

- हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं?
- पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर-सिब्बल ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यहां समस्या है। केंद्र की ओर से स्त्र तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई पुरानी मस्जिदें हैं। 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। CJI ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम- सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे।

ममता बनर्जी बोलीं

योगी सबसे बड़े भोगी

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग कर रही हैं। इमामों की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा- यूपी के सीएम योगी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वह सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते।

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा- मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लांड था। इसमें भाजपा, BSF और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। दरअसल, यूपी के सीएम योगी ने मंगलवार को बंगाल हिंसा पर कहा था- बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप हैं। वह दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दे दी है। क्या बॉर्डर की सुरक्षा BSF की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती है। केंद्र को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से वक्फ कानून को रोकने और अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को नियंत्रण में रखने की मांग की।